

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

लक्ष्मी देवी

बनाम

राजकार

नम्बर 29 सन् 2022

फरम मुकदमा 136 एल आर एवट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2022/ 29

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इंग्लिशियन्स लॉज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
03.01.22	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>मुकुलप</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/1591 दिनांक <u>03.01.22</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>मुकुलप</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>177.7.क</u> की जमाबंदी सम्बत <u>2073-76</u> के खाता सं. <u>54</u> में <u>लक्ष्मी देवी</u> पत्नी राजेश प्रसाद के स्थान पर <u>लक्ष्मी देवी</u> पत्नी राजेश प्रसाद की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की गयी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>मुकुलप</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर वाके चक <u>177.7.क</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत <u>2073-76</u> के खाता सं. <u>54</u> में <u>लक्ष्मी देवी</u> पत्नी राजेश प्रसाद के स्थान पर <u>लक्ष्मी देवी</u> पत्नी राजेश प्रसाद की दुरुस्ती करने का आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदलकर <u>54</u>। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अभिजात अफेसी)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

